(262)

(370)

न्यायालय श्रीमान् माननीय मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट, रीवा म0प्र0

नि0 प्र0 क्र0

TWENTY RUPEES

रामकिशोर तनय स्व0 बल्देव प्रसाद ब्रा0 उम्र 73 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम बलभद्रगढ़, रा0 नि0 मं0 खटखरी, तह0 हनुमना, जिला रीवा म0प्र0

—निगरानी कर्ता/आवेदक

बनाम

अर्जुन प्रसाद द्विवेदी तनय ठाकुरदीन द्विवेदी, निवासी ग्राम बलभद्र गढ़, थाना व तहसील हनुमना, जिला रीवा (म0प्र0) —गैर निगरानी कर्ता/अना०

न्यायालय तहसीलदार वृत्त खटखरी, तह0 हनुमना के प्र0क्र0 20अ/12/12-13 अर्जुन प्रसाद द्विवेदी बनाम शासन म0प्र0 मे पारित आदेश (ए आर्डरशीट) दिनांक 7-10-13 के विरुद्ध निगरानी ।

अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू रा0 संहिता 1959 ई0

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

मान्यवर,

प्रकरण से सम्बन्धित संक्षिप्त मे तथ्य निम्नानुसार है:-

1:- अनावेदक अर्जुन प्रसाद द्वारा ग्राम बलभद्रगढ ज0नं0 701 पटवारी हल्का बलभद्रगढ़ क्र0 29 रा0 नि0 मं0 खटखरी, तह0 हनुमना जिला रीवा म0प्र0 स्थित भूमि खसरा क्र0 327/1, 328/1, 329/1 व 330/1 कुल चार किता भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु तहसीलदार वृत्त खटखरी, तहसील हनुमना के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर तहसीलदार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व निरीक्षक हल्का पटवारी को सीमांकन की कार्यवाही का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का निर्देश किया गया।

क्रमशः/2

(262)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 75-III/2014 जिला–रीवा

रामकिशोर ब्रा0/अर्जुन प्रसाद द्विवेदी

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बालकृष्ण मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, वृत्त खटखरी, तहसील हनुमना के प्रकरण क्रमांक 20/अ–12/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरूद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.19 को अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हनुमना, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	